न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/टीए/3221/2002भरतपुर

1– शिवचरण पुत्र श्री झुल्लन, जाति जाटव निवासी ग्राम सहेडा तहसील कामां जिला भरतपुर मृतक जरिये वारिसानः–
   1/1. सामन्ती बेवा शिवचरण
   1/2. गोकुल पुत्र शिवचरण, जाति जाटव निवासी ग्राम सहेडा तहसील कामां जिला भरतपुर
2– सोहन पुत्र झुल्लन, जाति जाटव
3– डिब्बन पुत्र झुल्लन, जाति जाटव निवासी ग्राम सहेडा तहसील कामां जिला भरतपुर।

------ अपीलार्थीगण

बनाम

1– सामलिया पुत्र श्री तिरखा मृतक जरिये वारिसानः–
   1/1. भीमसिंह पुत्र सामलिया, जाति जाटव निवासी ग्राम सहेडा तहसील कामां जिला भरतपुर।
2– सुम्मेरा पुत्र श्री तिरखा, मृतक जरिये वारिसानः–
   2/1. सुखदेई बेवा सुम्मेरा
   2/2. नारायण पुत्र सुम्मेरा
   2/3. राज पुत्र सुम्मेरा, समस्त जाति जाटव निवासी ग्राम सहेडा तहसील कामां जिला भरतपुर।
   2/4. मोहरू पुत्री सुम्मेरा पत्नी हुकुम जाति जाटव निवासी ग्राम सेहज तहसील कामां जिला भरतपुर हाल आबाद नाहरपुर तहसील पुन्हाना जिला मेवात नूहं (हरियाणा)
   2/5. किरणदेई पुत्री सुम्मेरा पत्नी ईश्वर जाति जाटव निवासी ग्राम सेहज तहसील कामां जिला भरतपुर हाल आबाद नाहरपुर तहसील पुन्हाना जिला मेवात नूहं (हरियाणा)
3– हरचन्दी पुत्र श्री चूरा जाति जाटव निवासी ग्राम सहेडा तहसील कामां जिला भरतपुर।

------ प्रत्यर्थीगण

4– ओमप्रकाश पुत्र स्व0 शिवचरण
5– दौजी पुत्र झुल्लन मृतक जरिये वारिसानः–
   5/1. वीरवती पुत्री दौजी
   5/2. झासी पुत्री दौजी
   5/3. कमलेश पुत्री दौजी
   5/4. तुलसीराम पुत्र दौजी, समस्त जाति जाटव निवासी ग्राम सहेडा तहसील कामां जिला भरतपुर।
6– सन्ता पुत्री शिवचरण जाति जाटव ग्राम पापई तहसील फिरोजपुर जिला गुड़गांवा (हरियाणा)

------ तरतीबी पक्षकार/प्रत्यर्थीगण

अपील/टीए/3221/2002भरतपुर
शिवचरण बनाम सामलिया

खण्ड पीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य
श्री गौरव बजाड़, सदस्य

उपस्थित
(1) श्री विभोर गौड़, अभिभाषक अपीलांट।
(2) श्री रमजान मोहम्मद, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण।

निर्णय दिनांक :- 11.02.2025

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 व सपठित धारा 221 के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग की अपील संख्या 162/1999 में पारित निर्णय दिनांक 22-03-2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2- संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक जिलाधीश, कामां के समक्ष एक दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नं0 350/1-12, 312/4-5, 313/1-3, 315/0-19, 316/0-14, 317/0-14, 337/0-13, 339/1-6, 342/0-13, 343/0-14, 344/0-17, 345/0-14, 346/0-17, 357/1-0, 686/0-17, 696/0-18, 697/1-10, 695/0-17 वाके मौजा तहसील कामां पर वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज किया जाकर इसी आधार पर प्रविष्ठिया राजस्व रिकॉर्ड में अंकित की जाकर प्रतिवादीगण का नाम कलमजन किया जाकर वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावे। वादपत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश कर वादीगण के कथनों का विरोध करते हुए वाद वादी खारिज करने का निवेदन किया। विद्वान परीक्षण न्यायालय ने दावे एवं जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में तनकियात कायम कर उभयपक्ष की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 29-10-1999 से वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट सामलिया की ओर से विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जिसमें विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 22-03-2002 से अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। इसी निर्णय

अपील/टीए/3221/2002भरतपुर
शिवचरण बनाम सामलिया

दिनांक 22-03-2002 से व्यथित होकर अपीलांट की ओर से यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3- उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गयी।

4- अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकॉर्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने प्रकरण प्रतिप्रेषित करने के साथ ही उभयपक्ष की सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देने के जो निर्देश दिये है। वे विधिसम्मत् नहीं है, क्योंकि अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण की साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के बाद प्रतिवादीगण को दिनांक 17-07-1995 से 12-08-1998 तक अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया, किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा प्रकरण को येन-केन-प्रकारेण विलम्बित करने के उद्देश्य से साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण की साक्ष्य बंद कर दावे की सुनवाई के बाद विधिवत् निस्तारण किया गया था। आक्षेपित निर्णय से प्रतिवादीगण को साक्ष्य प्रस्तुत करने की छूट दिया जाना विधिसम्मत् नहीं होने से आक्षेपित निर्णय इसी आधार पर निरस्तनीय है। विधि के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-03-2002 को केवल इस आधार पर प्रतिप्रेषित किया गया है कि विद्वान उपखण्ड अधिकारी को सहायक कलक्टर के अधिकार नहीं थे। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22-03-2002 को निरस्त किया जाकर विद्वान सहायक जिलाधीश, कामां के निर्णय व डिक्री दिनांक 29-10-1999 को बहाल रखने का निवेदन किया। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 04-09-1998 की छायाप्रति पेश कर अनुरोध किया कि यह आदेश स्वतः स्पष्ट है कि उपखण्ड अधिकारी को सुनवाई के पूर्ण अधिकार थे।

5- प्रत्युत्तर में योग्य अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थीगण के तर्कों को विरोध करते हुए तर्क दिये कि विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए अपील अपीलांट आंशिक रूप से सही स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया है, जो न्यायोचित एवं विधिसम्मत् होने से अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य है।

6- हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं आलौच्य आदेशों, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का एवं प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन एवं अवलोकन किया।

7- पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण/अपीलांट ने विद्वान परीक्षण न्यायालय सहायक जिलाधीश, कामां के समक्ष एक दावा बाबत् दुरूस्ती इन्द्राज वादग्रस्त आराजी का प्रस्तुत कर वाद वादीगण डिक्री किया जावे जिसे विद्वान परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29-10-1999 से डिक्री कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट सामलिया की ओर से विद्वान अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई जो दिनांक 22-03-2002 से आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया। योग्य अधिवक्ता अपीलांट का बहस में मुख्य तर्क यही है कि अधीनस्थ विचारण न्यायालय को दावा सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 व 188 के तहत दावा सुनवाई का अधिकार केवल सहायक कलक्टर को है, उपखण्ड अधिकारी को नहीं, किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त तथ्य पर ध्यान नहीं देकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय के साथ पदेन सहायक कलक्टर भी है और अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने दावा क्षेत्राधिकार के तहत ही अधिकता के क्रम में सुनवाई कर निर्णित किया था। योग्य अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जिला कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 04-09-1998 की छाया प्रति पेश कर स्पष्ट किया है कि उपखण्ड अधिकारी को सुनवाई के पूर्ण अधिकार थे। इसलिए उपजिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29-10-1999 उचित एवं न्यायसंगत है जबकि विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने आलौच्य आदेश दिनांक

अपील/टीए/3221/2002भरतपुर
शिवचरण बनाम सामलिया

22–03–2002 में अंकित किया कि आर0आर0डी0 1999/7/राज0 हाईकोर्ट के मुताबिक आरटीए के सैक्शन 88, 89 एवं 188 के तहत दावा सुनने का अधिकार सहायक कलक्टर को है, उप जिला कलक्टर को नहीं जबकि विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने प्रस्तुत जिला कलक्टर, भरतपुर के आदेश दिनांक 04–09–1998 की छाया प्रति पेश कर स्पष्ट किया है कि उपखण्ड अधिकारी को सुनवाई के पूर्ण अधिकार थे। इसलिए विद्वान अपीलीय न्यायालय का आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय होकर अपीलार्थीगण की अपील काबिले स्वीकार योग्य है।

8– अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाकर विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–03–2002 निरस्त किया जाता है तथा विद्वान उपजिला कलक्टर, कामां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29–10–1999 की पुष्टि की जाती है।

9– पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गौरव बजाड़)
सदस्य

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य